प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.11.2026

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा हर्ष फायरिंग व शस्त्र प्रदर्शन के वीडियो वायरल करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी पिस्टल 32 बोर मय एक एयरगन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक **16.11.2026** को ग्राम दुहाई में कूँआ पूजन कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग व शस्त्र प्रदर्शन के वीडियो वायरल होने के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर धारा **125** बीएनएस व 27/30 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु थाना मधुबन बापूधाम पर कई टीमो का गठन किया गया। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चैकिंग व गश्त के दौरान मन्नधाम के पास रेलवे फाटक के बराबर में फ्लाई ओवर की तरफ जा रहे रास्ते के पास से **01** अभियुक्त **मुकेश कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी हंस विहार जनपद बुलन्दशहर उम्र 38 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। बरामद पिस्टल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश कुमार उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं दिनांक 16.11.2026 को अपने दोस्त विक्रान्त पुत्र संजीव कुमार निवासी खेडी सैदपुर थाना बीबीनगर जिला बु0शहर के साथ विक्रान्त के दोस्त अंकित त्यागी के लडके के कुआ पूजन कार्यक्रम मे आया था। वहाँ पर अकिंत त्यागी के गार्ड करन उर्फ अग्रेज ने अपने एयरगन से फायर किया था तभी मैने भी अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी पिस्टल से फायर कर दिया था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि इस घटना की विडियो बन गयी है। तो करन उर्फ अग्रेज की एयरगन और अपनी पिस्टल को मै वहाँ से लेकर भाग गया था और मन्नधाम फाटक के पास निर्माणधीन रेलवे पुल के पास बनी झाडियो मे लाल कपडे मे लपेट कर छिपा दिया था। आज मैं फिर रेलवे फाटक के पास कही जाने के लिये खडा था तो आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुकेश कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी हंस विहार जनपद बुलन्दशहर उम्र **38** वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास।

1. धारा 125 बीएनएस व 3/25/27/30 आयुद्ध अधिनियम थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त 01 देशी पिस्टल 32 बोर मय एक एयरगन बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 26.11.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. शानू उर्फ सोनू उर्फ आरिफ पुत्र शौकीन निवासी लोनी 02 नंबर इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 2. सोहेल मलिक पुत्र यासीन मलिक निवासी नई बस्ती पुराना खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से थाना क्षेत्र दयालपुर दिल्ली से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना दयालपुर दिल्ली पर चोरी के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर धारा- 317(2)/317(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने करीब 01 सप्ताह पहले दिल्ली से चोरी की थी। हम दोनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामो में बेच देते हैं, जो पैसे मिलते है उनसे अपने शौक पूरे करते हैं। आज हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शानू उर्फ सोनू उर्फ आरिफ पुत्र शौकीन निवासी लोनी 02 नंबर इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

2.सोहेल मलिक पुत्र यासीन मलिक निवासी नई बस्ती पुराना खेकड़ा, थाना खेकड़ा जनपद बागपत, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है और थाना दयालपुर दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त शानू उर्फ सोनू उर्फ आरिफ के विरूद्ध वाहन चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग थाना लोनी पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये, कब्जे से चोरी की टावर मशीन (RRU) बरामद।

दिनांक 25.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा इण्डस कम्पनी के टावर संगम विहार (संतोष विहार) से टावर मशीन (RRU) को चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला अभियुक्त मनखुश पुत्र उमेश सिंह निवासी मधुबन कॉलोनी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की टावर मशीन (RRU) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्त व बाल अपचारीगण द्वारा बताया गया कि हम तीनों काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। हमने मौका पाकर इस टावर मशीन को टावर से चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मनखुश पुत्र उमेश सिंह निवासी मधुबन कॉलोनी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र -18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की टावर मशीन (RRU) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी अर्द्धनिर्मित पटाखे व इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री करीब 50 किलोग्राम बारूद (पाइरो कैंडल भरने हेतु), 3400 अर्द्धनिर्मित पाइरो कैंडल, 96 पाइरोफायर गन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त फाजिल पुत्र रोजुद्दीन निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध आतिशबाजी अर्द्धनिर्मित पटाखे व इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री करीब 50 किलोग्राम बारूद (पाइरो कैंडल भरने हेतु), 3400 अर्द्धनिर्मित पाइरो कैंडल, 96 पाइरोफायर गन बरामद। गिरफ्तार

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9B(1)(b) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने शादी के सीजन में अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यह अवैध आतिशबाजी का सामान दिल्ली से सस्ते दामों में खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फाजिल पुत्र रोजुद्दीन निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

अवैध आतिशबाजी अर्द्धनिर्मित पटाखे व इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री करीब 50 किलोग्राम बारूद (पाइरो कैंडल भरने हेतु), 3400 अर्द्धनिर्मित पाइरो कैंडल, 96 पाइरोफायर गन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 15000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनाँक 29.10.2026 को थाना टीला मोड पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के दुकान से 152000/- रूपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर सुसंगत धारा 305/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.11.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त सूबे पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम मकरेडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को पाईप लाइन रोड हिण्डन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 15000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैंने अपने भाई रवि व एक अन्य साथी दीपक के साथ मिलकर दिनाँक 27.10.2026 की रात्रि को फरूखनगर में आजाद पेन्ट की दुकान से 152000/- रूपये चोरी किये थे जिनमें से 2000/- रूपये खाने-पीने में खर्च किये थे तथा शेष

150000/- रूपये में से हम लोगों ने 50000-50000 रूपये बांट लिए थे। मैंने अपने हिस्सों के रूपयों में से 35000/- रूपये खर्च कर दिये थे तथा शेष 15000/- रूपये आपने मुझसे बरामद कर लिए हैं। हमने इसी मोटरसाइकिल से यह चोरी की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूबे पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम मकरेडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.रवि पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम मकरेडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद

2.दीपक पुत्र लीलू निवासी जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी के 15000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित कर हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 80(2)/85 बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हिमांशु उर्फ कन्हैंया पुत्र कृपाल सिंह निवासी शिव वाटिका बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त हिमांशु उर्फ कन्हैंया ने बताया कि मैं व मेरे परिवार वाले शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों से शादी में दहेज कम देने को लेकर नाखुश थे तथा मैंने व मेरे घरवालों ने मेरे ससुराल वालों से 01 मोटरसाइकिल दहेज में मांगी थी जो उन लोगों के द्वारा नहीं दी गयी थी। इसी बात को लेकर मैंने व मेरे घरवालों ने मेरी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया जिससे गुस्से में आकर उसके द्वारा फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

हिमांशु उर्फ कन्हैंया पुत्र कृपाल सिंह निवासी शिव वाटिका बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा छिनैती व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व छिनैती के मोबाइल फोन बिक्री के 10510/- रूपये नगद बरामद।

दिनांक 18.11.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात बाइक सवारों द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धारा 304(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.11.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1- समीर पुत्र असलम निवासी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ उम्र करीब 19 वर्ष 2- इमरान उर्फ काला पुत्र सलीम निवासी हर्ष विहार थाना टीलामोड़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व भिन्न भिन्न छिनैती की घटनाओं से सबंधित कुल 10510/- रुपये नगद बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोगों में धारा वृद्धि करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों दोस्त हैं। यह मोटरसाइकिल हमने कुछ समय पूर्व दिल्ली के बजीराबाद से चोरी की थी जिसकी नम्बर प्लेट हटा दी थी। दिनांक 18.11.2026 हमने इसी मोटरसाइकिल से महाराणा प्रताप मूर्ति के पास 80 फुटा रोड से 01 आईफोन की स्नैचिंग की थी तथा दिनांक 14.11.26 को हमने मंगल पाण्डेय चौक शालीमार गार्डन से एक राह चलते व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन लिया था। हमने पिछले माह थाना साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र से एक आईफोन की भी स्नैचिंग की थी। हमने छिनैती के तीनों मोबाइल फोन 20000/- रुपये में राह चलते व्यक्तियों को बेच दिये थे जिनमें से हमारे पास केवल 10510/- रुपये शेष बचे हैं जो आपने हमने बरामद कर लिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1- समीर पुत्र असलम निवासी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ उम्र करीब 19 वर्ष

2- इमरान उर्फ काला पुत्र सलीम निवासी हर्ष विहार थाना टीलामोड़ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व छिनैती के मोबाइल फोन बिक्री के 10510/- रूपये नगद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोगः-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मोबाइल छिनैती के 02 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर मोबाइल छिनैती का 01 अभियोग तथा थाना बजीराबाद दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी के सबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।